सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण 26, गुरूवार, *शाके* 1945-अगस्त 17, 2023
Sravana 26, Thursday , Saka 1945- August 17, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 24, 2023

संख्या:07/भू.अ./ज.स./2018/1733-1734:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पिण्ड सिंचाई परियोजना बायवास, बांयी एंव दांयी मुख्य नहर निर्माण के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में संलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, पीपलखूंट हाई लेवल केनाल परियोजना, खण्ड, प्रतापगढ को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 (जी) एंव राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) REV-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी होगे।

विवरण

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, पीपलखूंट हाई लेवल केनाल परियोजना खण्ड द्वितीय प्रतापगढ के अन्तर्गत पिण्ड सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि हेत भूमि अर्जन पुनर्वास पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतीकर पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत् प्रस्ताव।

क्र-स-	कार्य का नाम जिला प्रतापगढ	जिले का नाम	तहसील	उपखण्ड अधिकारी/भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	पिण्ड सिंचाई परियोजना	चित्तोडगढ	बडीसादडी	बडीसादडी

फार्म-2

देखे-नियम-5

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगाः-

(क(	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियंता, पीपलखूंट हाई लेवल केनाल परि. खण्ड द्वितीय प्रतापगढ
	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षैत्र और प्रभावित क्षैत्र।	पिण्ड सिंचाई परियोजना तहसील बडीसादडी जिला चित्तोडगढ। योजना के अन्तर्गत 26.71 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।
(ख(	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उददेश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईया भी दे।	परामर्श सर्वेक्षण सुनवाई
(ग(	यदि ग्राम सभा और/ या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे मे कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागु नही है।
(घ(	सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार।
(ड(.	इस अवधि के दौरान इस आश्य का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो सजाएगी।	हां
(च(	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी।	कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, पीपलखूंट हाई लेवल केनाल परि.खण्ड द्वितीय प्रतापगढ

मुकेश कुमार गुप्ता,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.,
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।